संख्या- 10/2016/416/71-2-16-एस-16/2014

प्रेषक,

नीलेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान,
सैफई इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 30 जनवरी, 2016

विषय:- संस्थान के चिकित्सा शिक्षकों की नियमित नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा संशोधित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपने पत्र संख्या-1801/ई/रिम्सएण्डआर/2015-16 दिनांक 22-8-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा संस्थान के चिकित्सा शिक्षकों की नियमित नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- शासनादेश संख्या- 4313/71-2-2014-एस-16/2014 दिनांक 22-12-2014 द्वारा संस्थान की सीधी भर्ती हेतु निर्धारित एसोसिएट प्रोफेसर की अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से बढाकर 55 वर्ष तथा प्रोफेसर पद की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 50 से बढाकर 58 वर्ष की गयी है।

3- प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 22-12-2014 को अवक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु एम0सी0आई0 के मानकानुसार चिकित्सा शिक्षकों/वरिष्ठ चिकितसा शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों की भांति चिकित्सा शिक्षकों की भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा एतद्द्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

भवदीय

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या- 10/2016/416 (1)/71-2-16-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, भारतीय चिकित्सा परिषद/भारतीय दंत परिषद, नई दिल्ली।
3. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, आर0आई0एम0एस0, सैफई इटावा।
6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।